16.12.2025

छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवम्बर–दिसम्बर, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 26,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक से प्राप्त निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2025, प्रतिवेदन संख्या 06 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 115 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :–

(i) एफ 10–7/2019/16, दिनांक 10 मई, 2023 एवं

(ii) रूल–5/39/2025–लेबर, दिनांक 19 अगस्त, 2025 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक ईएसटीबी/4762/2025–लेबर, दिनांक 25 सितम्बर,2025 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 37 सन् 1970) की धारा 35 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल–503/12/2025–लेबर, दिनांक 11 सितम्बर,2025 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, मकई खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, राज्य के प्रतिभावान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उचित सम्मान, प्रोत्साहन राशि नहीं दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (खेलकूद एवं युवा कल्याण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह सदस्य, मेगा फूड पार्क ग्राम बगौद–बंजारी, कुरूद में व्याप्त समस्याओं का निराकरण नहीं होने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्लेसमेंट एजेन्सियों द्वारा मनमानी किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, वन मंडल मरवाही अंतर्गत वर्ष 2025 में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में रोपणी प्रबंधन समिति चिचगोहना द्वारा तैयार पौधों का उपयोग कर उसका भुगतान न कर अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, बीजापुर जिले में मोतियाबिन्द की सर्जरी के बाद मरीजों की आँखों में संक्रमण होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, दुर्ग जिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितता की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(9) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, प्रदेश में संचालित पॉवर प्लांटों एवं अन्य औद्योगिक ईकाईयों द्वारा प्रदूषण का उत्सर्जन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, बीजापुर जिले में एन.एम.डी.सी. प्रबंधन की खदानों से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट के निस्तारण एवं डिस्पोजल नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, भानुप्रतापपुर परिक्षेत्र वन मार्ग में सड़कों तथा पुलियों के निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(12) श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, राजधानी रायपुर में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(13) श्री राजेश मूणत, सदस्य, एन.जी.टी. के तहत निर्देशानुसार नदियों के प्रदूषित भाग के पुनरूद्धार की कार्ययोजना के खारून नदी का पुनरूद्धार नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री ओंकार साहू सदस्य, प्रदेश में धान खरीदी केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों में धान का समय पर उठाव तथा निराकरण नहीं होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य, गन्ना आयुक्त की अधिसूचनाओं के कारण गन्ना किसानों एवं उद्योगों में संकट उत्पन्न होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(16) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा के द्वारा औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं श्रम कानून का पालन नहीं किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, जिला–महासमुन्द के तुमगांव रेल्वे ओव्हर ब्रिज के लिये सड़क निर्माण हेतु प्रभावित भूधारियों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एवं जिला राजनांदगांव में बीमा माफियाओं द्वारा बीमा राशि की अनियमितता की जाने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री चैतराम अटामी, सदस्य, डंकनी नदी में दन्तेश्वरी मंदिर के सामने पुल के पास मिलने वाले गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिये यथाशीघ्र सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किये जाने के संबंध में उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, किसानों का एग्रीस्टेक कैरी फॉरवर्ड पंजीयन तथा संशोधन कार्य का सिस्टम खुलवाने तथा अवधि बढ़ाने के संबंध में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(21) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, पी.डी.एस. के राशन की अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर क्षेत्र में वन व्यवस्थापन का समयकाल वर्ष 1950–55 से वनभूमि में काश्त कर रहे आवास बनाकर रह रहे किसान परिवारों की जमीनों का शासकीय रिकॉर्ड में अपलोड नहीं होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिलने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य, धान खरीदी हेतु एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन में व्याप्त अव्यवस्था से किसानों को हो रही परेशानी की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(24) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य, वन परिक्षेत्र कोरबा अंतर्गत वन भूमि पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य, कच्चे–अंतागढ़ सड़क मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(26) श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य, धान खरीदी केन्द्रों में व्याप्त अव्यवस्था होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, कोरबा जिले के हाथी प्रभावित क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं का निराकरण नहीं होने की ओर वन एवं जलवायु मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(28) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, जिला कोरबा के किसानों को धान खरीदी केन्द्रों में असुविधा होने की ओर खाद्य–मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, प्रदेश में कॉलोनाईजरों द्वारा ई. डब्ल्यू. एस. हेतु आरक्षित भूमि को ऊंचे दामों पर बेचे जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री नीलकंठ टेकाम, सदस्य, आदिशक्ति मॉ अंगारमोती ट्रस्ट, गंगरेल, धमतरी में ट्रस्ट नियम क विरूद्ध ट्रस्टियों का पंजीयन, संचालन एवं ट्रस्ट की राशियों में अनियमितता किये जाने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री तुलेश्वर हीरासिंह मरकाम, सदस्य, केन्द्र एवं राज्य सरकार के आदेशों का विभाग के अधिकारियों द्वारा पालन न कर अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री चैतराम अटामी, सदस्य, सहकारी समितियों में पंजीकृत कृषकों का रकबा अनुसार पूर्ण धान खरीदी नहीं किये जाने के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद में वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(34) सर्वश्री विक्रम मंडावी, लखेश्वर बघेल, सदस्य, खरीफ विपणन वर्ष 2025–2026 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन नहीं होने की ओर कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, जल संसाधन विभाग के संभागीय कार्यालयों द्वारा कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही सुरक्षा निधि वापस किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, ग्राम सभा के बिना लिखित अनुमति के कृषि भूमि को बिना परिवर्तन मोबाईल टावर लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, गरियाबंद जिला अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जमीनों का प्रचलित गाईड लाईन (बाजार मूल्य) का गलत निर्धारण कर अमानक वृद्धि किये जाने की ओर वाणिज्यक कर (पंजीयन) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्री पुरन्दर मिश्रा, सदस्य, 36 आई एन सी को विभागों द्वारा समर्थन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, मुंगेली विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील सेतगंगा एवं कचरभटा में अल्प वर्षा के कारण किसानों के क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा के संबंध में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(42) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एनजीओ द्वारा प्रशिक्षकों की भर्ती एवं जेम से नियम विरूद्ध खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(44) श्री रोहित साहू, सदस्य राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवों में पेयजल का संकट होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) डॉ. चरण दास मंहत, सदस्य स्नातकोत्तर के लिए स्थानीय उम्मीदवारों का कोटा कम किये जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला जांजगीर–चांपा द्वारा अव्यवहारिक पूर्ण कार्य किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(47) श्री विनायक गोयल, सदस्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवारत अभ्यर्थियों को पीजी में बोनस अंक देने के संबंध में चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रोहित साहू, सदस्य, राजिम विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
- (i) ग्राम पसौद में सूखा नदी पर एनीकट निर्माण करने,
- (ii) नगर पंचायत कोपरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने,

(2) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, धरसींवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
- (i) ग्राम सोनतरा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,
- (ii) ग्राम चरोदा–मोंहदी टांडा मार्ग निर्माण करने,
- (iii) रायपुर से तिल्दा व्हाया कोदवा मार्ग निर्माण करने,

(3) श्री ओंकार साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–
- (i) ग्राम देवपुर में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (ii) ग्राम अरौद (डू) में हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (iii) धमतरी–नगरी राज्य मार्ग में ग्राम अछोटा में पुल निर्माण करने,

(4) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आरबीरा से पारागॉवखुर्द तक पुल–पुलिया सहित पक्की सड़क निर्माण करने तथा

(5) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गौरव पथ से नंदनी रोड, छावनी थाना, पावर हाउस मार्ग होते हुए दुर्ग की ओर ओव्हर ब्रिज निर्माण करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

क्रमशः 5

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मिनट (1) श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (2) श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 29 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (3) श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक,2025 (क्रमांक 30 सन् 2025) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "भिलाई नगर स्थित सेक्टर–09 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के रूप में पुनःस्थापित किया जाये।"

30 मिनट (2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी–बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिये संचालित आश्रम–छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र सरकार से विशेष सहायता राशि की मांग की जाये।"

2 घंटे

7. राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" के 150 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 16 दिसम्बर, 2025